




पत्रकारानुसार
 अज्ञान पाठक संस्था
 तारीख: 08/01/25

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>18/1/25</p>	<p>C.No. 104/2024 का.सू. VI/3 धारा 5</p> <p>पत्रावली पेश की वकील श्री 3/5/25 अग्रिम के नोटिस अग्रिम / वार्ड तलबी अग्रिम के उवाच अग्रिम के हेतु पत्रावली 05/3/25 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) </p>	
<p>05/3/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 08/1/25 को पेश की</p>	
<p>08/1/25</p>	<p>पत्रावली पेश की वकील श्री 3/5/25 अग्रिम पत्र में अग्रिम 01/2/25 के विरुद्ध एम्बली कार्यवाही हो चुकी है अग्रिम के उवाच अग्रिम है। अग्रिम के तलबी की कोई आवश्यकता नहीं है अतः अग्रिम के उवाच अग्रिम सिपात है। वकील श्री की ज्ञापन अतः धारा 22 के एकादश गरी वार्ड अवलोकन आदि पत्रावली 20/5/25 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ </p>	
<p>20/5/25</p>	<p>पत्रावली पेश की वकील श्री 3/5/25 अग्रिम का अग्रिम पत्र अग्रिम सिपात विरुद्ध अग्रिम पत्रावली को अग्रिम पत्रावली में अग्रिम पत्रावली अग्रिम अग्रिम नगद अग्रिम</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) </p>	